न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर

उनवान संख्या
58 / 2010

तारीख दायरा
23.07.2010

पीठासीन अधिकारी – दमयन्ती कंवर (R.A.S.)

उनवान

विजयदत्त आयु 42 वर्ष पुत्र घनश्याम जाति जागिड निवासी वार्ड नं. 31 भातरा की बगीची फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राज. — वादी

बनाम

1. सोहन (फोत)
   1. गोविन्द पुत्र सोहन
   2. रामलाल (फोत) पुत्र सोहन
      1. कमला पत्नी रामलाल
      2. ताराचन्द पुत्र रामलाल 3 कंचन पुत्री रामलाल
   3. राजकुमार पुत्र सोहन
   4. सुमन
   5. मंजु पुत्रीया सोहन
2. शुभकरण (फोत)
   1 अणचीदेवी पत्नी शुभकरण
   2 गिरधारीलाल
   3 विष्णु पुत्रगण शुभकरण
   4 कौशल्या पुत्री शुभकरण समस्त जाति जागिड निवासी वार्ड नं. 16 मिश्रो का मोहल्ला फतेहपुर जिला सीकर राज.
3. ब्रह्मदत्त बरवाडीया
4. रविदत्त बरवाडीया (फोत)
   1 सरिता बरवाडिया पत्नी रविदत्त
   2 कीर्ति बरवाडिया पुत्री रविदत्त
   3 विनोद बरवाडिया पुत्र रविदत्त
5. देवदत्त बरवाडिया
6. तहसीलदार भू धारक राजस्थान सरकार फतेहपुर
7. उपपंजीयक फतेहपुर
8. जिलाधीश सीकर
9. वेदप्रकाश (फोत)
   1 रुकमणी देवी पत्नी वेदप्रकाश
   2 विष्णुदत्त
   3 रमेशचन्द
   4 ओमदत्त
   5 दिनेश कुमार पुत्रगण वेदप्रकाश
   6 ललिता
   7 सरोज
   8 मंजू पुत्रीया वेद प्रकाश
10. प्रभुदत्त उर्फ प्रभुदयाल
11. गोपीदत्त उर्फ जयगोपाल पुत्रगण मुनीन्द्र समस्त जाति जागिड नि[illegible] वार्ड नं. 31 भातरा की बगीची फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राज.
12. विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान जयपुर — प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा संशोधन खाता स्थायी निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी,
फतेहपुर-सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता वादीगण – श्री विश्वनाथ सैनी

उपस्थित अधिवक्ता प्रतिवादीगण– श्री पंकज शर्मा
– श्री रिड़मल सिंह
– श्री अ. रशीद खान
– श्री हेमराज सैनी

दिनांक: 29.01.2025

निर्णय

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 की एक पैत्रिक कृषि भूमि खसरा नं. 636 नया खसरा नं. 287 रकबा 2.07 हैक्टर वाके कस्बा फतेहपुर शेखावाटी मे अवस्थित है। जिसमे वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्से का काबिज काश्तकार स्वामी है।

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 एक ही खानदान के है। उक्त कृषि भूमि का खाता पहले वादी के एव प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 के पुर्वज तोला पुत्र गुलाब के नाम से चला आ रहा था। सन 1981 मे एक अन्य खसरा नं. 527 के खातेदार तोला पुत्र सुखा जागिड निवासी फतेहपुर शेखावाटी की मृत्यू हुई थी और उनकी भूमि के विरासतन नामान्तरण के साथ ही वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 की कृषि भूमि का खाता उसी समय राजस्व अधिकारियो की गलती एवं लापरवाही से तोला पुत्र सुखा के वारिसान सोहन व शुभकरण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम गलत रुप से विरासतन जरिये नामान्तरण संख्या 1476 के दर्ज हो गया। जबकि 1981 मे वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 के पूर्वज तोला पुत्र गुलाब की मृत्यू भी नही हुई थी। तोला पुत्र गुलाब जागिड की मृत्यु वास्तव मे दिनांक 13.10.1982 में हुई थी। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तोला पुत्र सुखा के उत्तराधिकारी है न कि तोला पुत्र गुलाब के उत्तराधिकारी है।

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 विवादित भूमि को अपने पुर्वजो के समय से ही निरन्तर निर्बाध रुप से शान्ति पुर्वक काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन वादग्रत भूमि की खातेदारी उपरोक्तनुसार अवेध गलत रुप से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम अंकित हो गई जिसको वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 अपने नाम प्रत्येक के 1/4 – 1/4 हिस्सा उदघोषित करवाने के अधिकारी है। व खाते मे संशोधन करवाने के अधिकारी है। वर्तमान मे भी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 विवादित सम्पदा को मौके पर काश्त करवाते व करते चले आ रहे है। वर्तमान मे मौके पर फसल काश्त कर रखी है।

प्रतिवादीगण संख्या 9,10,11 का विवादित कृषि भूमि से कोई संबंध सरोकार नही है न ही उनका उक्त कृषि भूमि पर पुर्व में कोई कब्जा काश्त रहा है। और न ही वर्तमान में उनका कोई कब्जा काश्त विवादित भूमि पर है। उक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 के पूर्वज तोला की स्वअर्जित कृषि भूमि है वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 के पुर्वज तोला व प्रतिवादी संख्या 9 वेदप्रकाश के मध्य एक लिखित मे फैमिली बंटवारा किया था लेकिन उक्त फेमिली सेटलमेन्ट मे विवादित भूमि का कही भी उल्लेख नही किया गया है। वास्तव मे विवादित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 तथा प्रतिवादीगण संख्या 9,10 व 11 की पैत्रिक होती तो यानि गुलाब के नाम खातेदारी रही होती तो इस फेमिली सेटलमेन्ट मे इनका उल्लेख अवश्य होता लेकिन उक्त फेमिली सेटलमेन्ट मे [illegible] का कही भी उल्लेख नही है। इससे यह स्पष्ट होता है। कि उक्त कृषि भूमि से प्रतिवादीगण संख्या [illegible] का कोई संबंध सरोकार नही है। प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 के पिता स्व. मुनी[illegible] भी [illegible] बंटवारे मे उक्त कृषि भूमि के एवज मे अन्य सम्पति दे दी गई थी।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने नाम [illegible] का लाभ उठाने की गर्ज से जमीनो के भाव आसमान छुने से लालच मे आकर उक्त कृषि भूमि को भूमाफियो से मिलकर बाला बाला विक्रय करने को तत्पर है। षडयन्त्र के तहत वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 को बेदखल करने की कुचेष्टा कर रहे है। जिसमे वो सफल हो गये तो वादी एवं प्रतिवादीग संख्या 3 ता 5 को असीम हानी होगी जिसकी पूर्ति अन्यथा तौर पर सम्भव नही होगी। इसलिए वादी, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा 7,9,10,11 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

विवादित भूमि को विशेषाधिकारी नगरिय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा अवाप्त की जा रही है। लेकिन इस संबंध मे विशेषाधिकारी नगरिय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के द्वारा वादी को आज तक कभी भी कोई सुचना नही दी गई है। जबकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 आज भी मौके पर उक्त विवादित भूमि को काश्त करते चले आ रहे है। विशेषाधिकारी नगरिय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा उक्त भूमि को बंजड बता कर अवाप्त करने की नाजायज कुचेष्टा की जा रही है। यदि वादी की एकमात्र कृषि भूमि को उसको बिना कोई जानकारी दिये अवाप्त कर लिया गया तो असीम हानी होगी। तथा उसके हित बुरी तरह प्रभावित होगें। जिसकी क्षतिपुर्ति अन्यथा तौर पर संभव नही होगी। इसलिए प्रतिवादी संख्या 12 को स्थाईनिषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का वादी अधिकारी है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 को अपनी विवादित कृषि भूमि का खाता गलत रूप से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम अंकित होने की जानकारी तब हुई जब पिछले वर्ष खराब हुई फसल की मुआवजा राशि लेने के लिए दिनांक 01.07.2010 को पटवारी हल्का फतेहपुर से सम्पर्क किया इसके पश्चात प्रतिवादीगण 1 व 2 से वादी ने कई मर्तबा कहा कि खाते मे हमारे नाम संशोधन करवाओ तो प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 स्पष्ट इन्कार हो गये इसलिए दावा करना आवश्यक हो गया यही वाद का कारण है।

दावा बाबत उदघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का होने से 3/–रू. के न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद सादर प्रस्तुत है। विवादित भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे होने से माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 का विवादित भूमि मे प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है। लेकिन वर्तमान मे वे फतेहपुर में मौजूद नही है। इसलिए इन्हे प्रतिवादी के रूप मे पक्षकार बनाया गया है।

वादी की प्रार्थना है कि

(क) कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा 6 ता 11 डिक्री फरमाया जाकर उदघोषणा इस कदर फरमाई जावे कि विवादित भूमि खसरा नं. 636 नया खसरा नं. 287 रकबा 2.07 हैक्टर वाके कस्बा फतेहपुर का वर्तमान खाता निरस्त किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 के प्रत्येक को बराबर बराबर हिस्से का खातेदार काश्त कार उदघोषित किया जा कर इस प्रकार से खाते मे संशोधन किया जावे।

(ख) कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व 6 ता 11 को मय नोकर चाकर एजेन्ट प्रतिनिधी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वोह विवादित कृषि भूमि को स्थानान्तरित नही करे व न ही वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 के शान्ति पुर्वक कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे दखलंदाजी करे व प्रतिवादी संख्या 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादित भूमि बाबत किसी प्रकार का कोई हस्तान्तरण संबधित दस्तावेज प्रलेख का पंजियन नही करे।

(ग) कि अन्य न्यायोचित सहायता जो वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो उसे प्रदान करवाई जावे।

(घ) कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ड) कि विवादित भूमि खसरा नं. 636 नया खसरा नं. 287 रकबा 2.07 हैक्टर वाके कस्बा फतेहपुर को विशेषाधिकारी नगरिय विकास एवं [illegible] जयपुर द्वारा अवाप्त नही किये जाने बाबत उसको मय नोकर चाकर एजेन्ट प्र[illegible] स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanw
Date: 2025.02.13 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को [illegible] किया गये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से श्री हेमराज सैनी एड0 तथा प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से श्री रिड़मल सिंह एड0 तथा प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से श्री [illegible]ल रशीद एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व वादीगण के मध्य राजीनामा पेश हुआ। जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 बावजूद सूचना हाजिर नही होने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-शेखा(राज.)

प्रतिवादी नं0 9 की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किये कि वाद पत्र की मद संख्या 1 मे पैत्रिक कृषि भुमि खसरा नम्बर 636 रकबा 2. 07 हैक्टेयर वाके कस्बा फतेहपुर की तन मे अवस्थित होना स्वीकार है, शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 व 9 एवं उसके परिवार के अन्य सदस्य प्रभुदत व गोपीदत की पैत्रिक, कब्जेशुदा विवादित कृषि भुमि खसरा नम्बर 636 रकबा 2. 07 हैक्टेयर कस्बा फतेहपुर मे अवस्थित है जिसमे प्रतिवादी संख्या 9 का 1/2 हिस्सा तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 का प्रत्येक का 1/16 व परिवारजन के सदस्य प्रभुदत व गोपीदत प्रत्येक का 1/8 हिस्सा सम्मिलित है।

वाद पत्र की मद संख्या 2 मे वादी ने सजरा खानदान गलत रूप से अंकित किया है।

वाद पत्र की मद संख्या 3 जिस तरह से अंकित की गई है गलत होने से अस्वीकार है सही वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि विवादित कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 के पिता स्व० मदन की सहमति से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 के व उसके पुर्वज स्व० तोला के नाम से चला आ रहा था। लेकिन सन् 1981 में विवादित खेत के पड़ौसी अन्य खेत खसरा नम्बर 527 के खातेदार तोला पुत्र सुखा की मृत्यु हुई तो राजस्व अधिकारीयो की गलती एवं लापरवाही से विवादित कृषि भुमि का खाता विरासतन नामान्तरण तोला वल्द सुखा के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो गया जिसकी जानकारी प्रतिवादी को होने पर प्रतिवादी संख्या 9 ने विवादित कृषि भुमि बाबत माननीय न्यायालय मे एक वाद बाबत उदघोषणा, संशोधन खाता व स्थायी निषेधाज्ञा का बउनवानी वेदप्रकाश बनाम ब्रह्मदत आदि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व वादी के विरूद्ध पेश किया जिसके जवाब दावा मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी सं. 9 के कथनो की स्वीकारोक्ति कर प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में दिनांक 18.10.10 को राजीनामा भी निष्पादित कर विवादित कृषि भुमि के खाते मे संशोधन कर प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज करने पर कोई आपत्ति नही होने का कथन किया है राजीनामा माननीय न्यायालय में तस्दीक किया जा चुका है, परिणामत: विवादित कृषि भुमि का वर्तमान खाता प्रतिवादी संख्या 9 के हक अधिकार के सनद्ध अवैध व शुन्य होने से निरस्त किया जाकर विवादित कृषि भुमि के 1/2 हिस्से का खाता प्रतिवादी संख्या 9 नाम से दर्ज कर राजस्व प्रलेखो मे संशोधन किया जाना न्यायोचित व प्रार्थनीय है।

वाद पत्र की मद संख्या 4 में अंकित तथ्य ने वादग्रस्त भुमि की खातेदारी अवैध व गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम अंकित होना स्वीकार है शेष तथ्य गलत व झुठे होने से अस्वीकार है विवादित कृषि भूमि की वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि कृषि भुमि खसरा नम्बर 636 रकबा 2.07 हैक्टेयर वाके कस्बा फतेहपुर की तन मे अवस्थित है, वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 व 9 एवं उसके परिवार के अन्य सदस्य प्रभुदत व गोपीदत की पैत्रिक, कब्जेशुदा कृषि भुमि खसरा नम्बर 636 रकबा 2.07 हैक्टेयर कस्बा फतेहपुर जिला सीकर की तन मे अवस्थित है जिसमे प्रतिवादी संख्या 9 का [illegible] संख्या 3 ता 5 का प्रतयेक का 1/16 व परिवारजन के सदस्य प्रभुदत [illegible] प्रत्येक का 1/8 हिस्सा सम्मिलित है।

वाद पत्र की मद संख्या 5 जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है [illegible] मद संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार है। वादी को वाद कारण हासिल नही है वादी का [illegible] वादकारण के अभाव मे खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र की मद संख्या 7 कानूनी है व[illegible] दावा बाबत उदघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जो विधिनुसार एक रूपये कम न्याय शुल्क पर पेश किया वादी का वाद कानूनन अपर्याप्त न्याय शुल्क के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र की मद संख्या 8 कानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Ka
Date: 2025.02.13 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अधिकारी
फतेहपुर-सीकर(राज.)

वाद पत्र की मद संख्या 9 गलत होने से अस्वीकार है वादी ने दुरभि –संधि के तहत
वाद पत्र पेश किया है वादी ने आवश्यक पक्षकारो को पक्षकार संयोजित नहीं कर वाद पत्र पेश
किया है प्रतिवादी संख्या 9 को माननीय न्यायालय के दिनांक 04.02.2011 के आदेशानुसार
प्रतिवादी संख्या 9 के रूप मे आवश्यक पक्षकार संयोजित किया गया है। यही वादी ने शेष
परिवार के सदस्य जिसका वादग्रस्त कृषि भुमि मे हित निहित है जिसमे वादी के चाचा स्व०
मुनीन्द्र के लड़के प्रमुदत व गोपीदत को आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी पक्षकार नही
बनाया परिणामत: वादी का वाद दुरभि संधि के तहत के होने व पक्षकारी का आवश्यक संयोजक
नही करने से सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

वाद पत्र की मद संख्या 10 मय उपधारायें (क), (ख), (ग) व (घ) गलत होने से
अस्वीकार है वादी का वाद दुरभी संधि के तहत व झुठा, मिथ्या दावा होने से वादी माननीय
न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

<u>विशेष कथन</u>

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 व 9 एवं उसके परिवार के अन्य सदस्य प्रभुदत
व गोपीदत की पैत्रिक, कब्जेशुदा कृषि भुमि खसरा नम्बर 636 रखबा 2.07 हैक्टेयर कस्बा फतेहपुर
जिला सीकर की तन मे अवस्थित है जिसमे प्रतिवादी संख्या 9 का 1/2 हिस्सा तथा वादी व
प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 का प्रतयेक का 1/16 व परिवारजन के सदस्य प्रमुदत व गोपीदत
प्रत्येक का 1/8 हिस्सा सम्मिलित है। वर्तमान मे वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 व 9
तथा परिवार के अन्य सदस्य गोपीदत व प्रभुदत विवादित कृषि भुमि के अपने अपने हिस्से पर
भौतिक रूप से काबिज होकर विवादित कृषि भुमि का उपयोग उपभोग निरन्तर निर्बाध रूप से
करते चले आ रहे है।

विवादित कृषि भुमि का खाता प्रतिवादी संख्या 9 के पिता स्व. मदन की सहमति से
वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 के व उसके पुर्वज स्व० तौला के नाम से चला आ रहा था।
लेकिन सन् 1981 मे विवादित खेत के पड़ोसी अन्य खेत खसरा नम्बर 627 के खातेदार तौला
पुत्र सुखा की मृत्यु हुई तो राजस्व अधिकारीयो की गलती एवं लापरवाही से विवादित कृषि भुमि
का खाता विरासतन नामान्तरण तौला वल्द सुखा के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम
दर्ज हो गया जिसकी जानकारी प्रतिवादी को होने पर प्रतिवादी संख्या 9 ने विवादित कृषि भुमि
बाबत माननीय न्यायालय में एक वाद बाबत उदघोषणा, संशोधन खाता व स्थायी निषेधाज्ञा का
बउनवानी वेदप्रकाश बनाम बहादत आदि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व वादी के विरुद्ध पेश
किया जिसके जवाब दावा मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी सं. 9 के कथनो की
स्वीकारोक्ति कर प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष मे दिनांक 18.10.10 को राजीनामा भी निष्पादित कर
विवादित कृषि भुमि के खाते मे संशोधन कर प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज करने पर कोई
आपत्ती नहीं होने का कथन किया है राजीनामा माननीय न्यायालय मे तस्दीक किया जा चुका
है। परिणामत: विवादित कृषि भुमि का वर्तमान खाता प्रतिवादी संख्या 9 के हक अधिकार के
समक्ष अवैध व शुन्य होने से निरस्त किया जाकर विवादित कृषि भुमि [illegible] खाता
प्रतिवादी संख्या 9 के नाम से दर्ज कर राजस्व प्रलेखो मे संशोधन [illegible] जाना न्यायोचित व
प्रार्थनीय है।

उक्त विवादित कृषि भुमि प्रतिवादी संख्या 9 के पिता [illegible] एवं वादी व
प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 व अन्य परिवार के सदस्य प्रभुदत व गोपीदत [illegible] पितामह स्व० तौला
की पैत्रिक व संयुक्त कब्जे अधिकार की कृषि भुमि थी जिसे उन्होने संयुक्त रूप से काश्त कर
अपने परिवार का पालन पोषण किया। तत्कालीन समय की भारतीय सभ्यता संस्कृति व प्राचीन
सामाजिक परम्पराओ व प्रथाये व रिति रिवाजनुसार घर मे प्रत्येक कार्य बड़े भाई के नाम से किये
जाने के अनुसार विवादित कृषि भुमि का नाम भी एक मात्र स्व० तौला के नाम से दर्ज करवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwa
Date: 2025.02.13 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
फतेहपुर-सीकर(राज.)

दिया गया आपस मे प्रेम भाईचारा के नाते कोई आप्पती नही थी इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 9
व वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 के पुर्वज आपस मे संयुक्त रुप से सम्पुर्ण भुमि की काश्त
कर उपयोग उपभोग मे निरन्तर रूप से लेते चले आ रहे थे।

प्रतिवादी संख्या 9 के पिता की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 9 के थाबा स्व०
तोला जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का पितामह है ने वादी को विवादित कृषि भुमि के
लिये आपस मे समाज मे भाई चारा, प्रेम सम्बंध बनाये रखने एवं भविष्य मे उक्त विवादित कृषि
भुमि के लिये उत्पन्न होने वाले विवाद को टालने के लिये समाज के बुजुर्ग व्यक्तियों के समक्ष
बाहमी बटवारा कर विवादित कृषि भुमि के 1/2 भाग को जो कि प्रतिवादी संख्या 9 के पिता
स्व० मदन के हिस्से की थी को प्रतिवादी संख्या 9 को सम्भला दिया तब से ही प्रतिवादी संख्या
9 अपने हिस्से के 1/2 भाग को वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पुर्वज तत्पश्चात उनके
संतान मे निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जे, अधिकार अधिपत्य व स्वामीत्व से उपयोग उपभोग करता
चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 9 पुर्व मे विवादित कृषि भुमि के 1/2 भाग पर अपने पिता
स्व० मदन के जीवनकाल में उसके पिता के साथ तथा पिता की मृत्यु के बाद स्वयं विवादित कृ
षि भुमि पर काश्त कर उसका उपयोग उपभोग निरन्तर निर्बाध रूप से करता चला आ रहा है
तथा प्रतिवादी संख्या 9 व उसके पुत्र विष्णुदत्त ने विवादित कृषि भुमि की लगान राशि रसीद
संख्या 39... दिनांक 26.2.1980 को सत्तरह रूपयें चार पैसे जमा करवाये थे तथा समय समय पर
राज्य सरकार को विवादित कृषि भुमि के सम्बंध मे लगान की राशि भी जमा करवायी है, इस
प्रकार से प्रतिवादी संख्या 9 को विवादित कृषि भुमि का पैत्रिक कब्जे अधिकार निरन्तर निर्बाध
रूप से उपयोग उपभोग करने से खातेदारी हक अधिकार हासिल है। परिणामतः प्रतिवादी सख्या
9 को विवादित कृषि भुमि के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार होने की उदघोषणा करवाने
का अधिकारी है। तदर्थ विवादित कृषि भुमि के 1/2 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार
उदघोषित किये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित व प्रार्थनीय है।

विवादित कृषि भुमि का खाता प्रतिवादी संख्या 9 के पिता स्व० मदन की सहमति से
वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 के व उसके पुर्वज स्व० तोला के नाम से चला आ रहा था।
लेकिन सन् 1981 में विवादित खेत के पड़ौसी अन्य खेत खसरा नम्बर 527 के खातेदार तोला
पुत्र सुखा की मृत्यु हुई तो राजस्व अधिकारीयो की गलती एवं लापरवाही से विवादित कृषि भुमि
का खाता विरासतन नामान्तरण तोला वल्द सुखा के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम
दर्ज हो गया जिसकी जानकारी प्रतिवादी को होने पर प्रतिवादी संख्या 9 ने विवादित कृषि भुमि
बाबत माननीय न्यायालय मे एक वाद बाबत उदघोषणा, संशोधन खाता व स्थायी निषेधाज्ञा का
बउनवानी वेदप्रकाश बनाम ब्रह्मदत्त आदि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व वादी के विरूद्ध पेश
किया जिसके जवाब दावा मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी सं 9 के कथनो की स्वीकारोक्ति
कर प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में दिनांक 18.10.10 को राजीनामा भी निष्पादित कर विवादित कृ
षि भुमि के खाते मे संशोधन कर प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज करने पर कोई आप्पती नही
होने का कथन किया है राजीनामा माननीय न्यायालय मे तसदीक किया जा चुका है, परिणामतः
विवादित कृषि भुमि का वर्तमान खाता प्रतिवादी संख्या 9 के हक [illegible] समक्ष अवैध व
शुन्य होने से निरस्त किया जाकर विवादित कृषि [illegible] 9 का 1/2
हिस्सा उसके नाम से दर्ज किया जाकर राजस्व [illegible]
प्रार्थनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwa
Date: 2025.02.13 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

जनसूचना अधिकारी
करोड़पुर-कोटपुतली (राज.)

विवादित कृषि भुमि पर प्रतिवादी संख्या 9 का आज भी मौके पर भौतिक रूप से कब्जा है जो प्रतिवादी संख्या 9 का उसके पिता के जीवनकाल से ही चला आ रहा है। मौके पर प्रतिवादी संख्या 9 ने फसल बो रखी है एवं अपने हिस्से की भुमि पर मिट्टी की नीव सीव व डोल लगा रखी है उसके 1/2 हिस्से मे वादी व दिगर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 अन्य भुमाफियाओं के साथ मिलकर प्रतिवादी संख्या 9 को वृद्ध जानकर उसे विवादित कृषि भुमि के 1/2 हिस्से से जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने को तत्पर है जिनका की उन्हे कोई वैध हक अधिकार नही है परिणामतः वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का अधिकारी है।

वर्तमान समय मे विवादित कृषि भुमि शहर के नजदीक होने से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 दिगर प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 से मिलकर विवादि कृषि भुमि को भुमाफिया गिरोह के व्यक्तियो को विक्रय करने का प्रयास कर रहे है तदर्थ वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 के द्वारा ऐलानिया धमकिया भी दी जा रही है। जिन्हे प्रतिवादी संख्या 9 जरियें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंध करवाने का अधिकारी है।

वादी जब दिनांक 8.9.2010 को अपने खेत मे कृषि कार्य मजदुरो से करवा रहा था तब वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 ने आकर वादी को विवादित खेत की जमाबन्दी दिखाते हुये कहा कि वे इस विवादित कृषि भुमि से वादी को जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर विवादित कृषि भुमि पर कब्जा कर लेगे तथा अन्य भुमाफिया को विक्रय कर देगे इस पर प्रतिवादी संख्या 9 के द्वारा माननीय न्यायालय मे बउनवानी वेदप्रकाश बनाम ब्रह्मदत्त आदि दावा बाबत उदघोषणा, संशोधन व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जो माननीय न्यायालय मे विचाराधिन है।

वाद दायरी के पश्चात भी प्रतिवादी संख्या 9 ने वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 को काफी समझाया कि प्रतिवादी संख्या 9 विवादित कृषि भुमि पर वह अपने पुर्वजों के समय से कब्जे में कास्त करता चला जा रहा है अपातवादी व प्रतिवादीण संख्या 3 ता ने प्रतिवादी संख्या 9 को विवादित खेत से नेपाल र नेकब्जा कर विवादित कृषि भूमि को विक्रय करने की धमकी गत 10 रोज से दे रहे है परिणामत वादी को वादाचार पैदा होने से काउन्टर वाद संस्थित करना आवश्यक हुआ।

वादी को वाद पेश करने का कोई लीकस स्टेण्डाई हासिल नही है परिणामतः वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने माननीय न्यायालय में गलत रूप से प्रतिवादीगण से मिलकर दुरमी संधि के तहत वाद पेश किया है जो कानूनन पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 9 उत्तरदाता माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 4.2. 2010 के अनुसार बतौर प्रतिवादी संयोजित किया गया है। तथा वादी ने प्रतिवादी संख्या 9 वेदप्रकाश व वादी के ही परिवार के सदस्य अपने चाचा मुनीन्द्र [illegible] में गम्भीर हित निहित है को आवश्यक पक्षकार संयोजित नही कर [illegible] संहिता के आदेशात्मक प्रावधान की अवहेलना कर वाद पेश [illegible] के कुयोजन व संयोजन के अभाव में कानूनन पोषणीय [illegible]

वादी ने वाद विधिनुसार निर्धारित न्यायशुल्क से कम न्याय शुल्क पर पेश किया है जो कि अपर्याप्त न्याय शुल्क के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। वादी [illegible] प्रस्तुत वाद मे संयोजित प्रतिवादी संख्या 6, 7 व 8 लोक सेवक की श्रेणी में आते है जिन्हे वाद दायरी से दो माह पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिश दिया जाना आवश्यक है मगर वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8 को सी.पी.सी. के आदेशात्मक प्रावधान के तहत धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये बगैर ही वादी ने माननीय न्यायालय में वाद पेश किया परिणामतः वादी का वाद सिविल

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanw
Date: 2025.02.13 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रक्रिया संहिता में आदेशात्मक प्रावधान आदेश 7 नियम 11 के तहत सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने द्वारा पुर्व में वादी के पक्ष में प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा व राजीनामा को वादी ने छल कपट के आधार पर पेश करवाने के कथन के आधार पर राजीनामा व जवाब दावा खारिज करने हेतु माननीय न्यायालय में धारा 151 सी.पी.सी. का आवेदन भी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने पेश किया है परिणामत: वादी का वाद मिथ्या, छल कपट पर आधारित होने से वादी माननीय न्यायालय में स्वच्छ हाथो से माननीय न्यायालय में प्रवेश नही किया है वही प्रतिवादी संख्या 9 के द्वारा विवदित कृषि भुमि के सम्बंध मे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद बउनवानी वेदप्रकाश बनाम बहादत्त आदि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रतिवादी बह्मदत के पक्ष मे इकबाले जवाब दावा व राजीनामा पेश कर विवादित कृषि भुमि के 1/2 हिस्से का खाता वादी के पक्ष में दर्ज कर संशोधन करने का अभिकथन किया है राजीनामा माननीय न्यायालय में तस्दीक किया जा चुका है।

परिणामत: वादी माननीय न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है वादी का वाद खारिज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाना न्यायोचित व प्रार्थनीय है।

जवाब दावा मय काउन्टर का होने से 6/- रूपये के न्यायशुल्क पर सादर प्रस्तुत है।

अत: जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज कर प्रतिवादी संख्या 9 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर इस आशय की उदघोषणा पारित की जावे कि प्रतिवादी संख्या 9 विवादित कृषि भुमि खसरा नम्बर 636 रकबा 2.07 हैक्टेयर कस्बा फतेहपुर की तन में अवस्थित है का 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा वर्तमान खाता निरस्त किया जाकर प्रतिवादी संख्या 9 का नाम विवादित कृषि भुमि के 1/2 हिस्से मे खातेदार, काश्तकार के रूप में नामान्तरण दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व प्रलेखो मे संशोधन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 मय नौकर, चाकर, परिजन, एजेन्ट, प्रतिनिधि आदि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे विवादित कृषि भुमि मे वादी को उसके 1/2 हिस्से के कब्जे, अधिकार, उपयोग, उपभोग, नाल-बाट व काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी उत्पन्न नही करे व विवादित कृषि भुमि मे वादी के 1/2 हिस्से को हस्तान्तरण, विक्रय पत्र अन्य किस्म की अन्तरण पत्र, दान पत्र, उपहार पत्र, निष्पादित व पंजीकृत न ही करे व करावे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर वाद का वकील वादी ने जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत कि मद नंबर 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 636 रकबा 2.07 हेक्टर वाके कस्बा फतेपुर मे अवस्थित होना स्वीकार है। कथन गलत होते से अस्वीकार है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 9 की पैत्रिक नही है। नाही उसका उक्त भूमि मे कोई कब्जा काश्त पूर्व में और ना वर्तमान में है, बल्कि उक्त कृषि भूमि तोला की स्वअर्जित है।

मद नंबर 2 मे वर्णित सजरा खानदान में गुलाब के दो [illegible] होना स्वीकार है एवं तोला के दो पुत्र घनश्याम व मुनीन्द्र होना स्वीकार [illegible] मदन को वादी ने अपने दावा मे दर्शित सजरा खानदान मे [illegible] किया है कि उनका उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नही रहा है। उक्त भूमि तोला की स्वअर्जित थी और घनश्यान के एक भाई मुनीन्द्र को सजराखानदान मे इसलिये नही दर्शाया [illegible]को बाहमी बंटवारे में अन्य सम्पति दे दी गई तथा प्रारम्भ में उनका उक्त भूमि से कोई लेना देना सम्बन्ध सरोकार नही रहा तथा कोई कब्जा काश्त रहा ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwa
Date: 2025.02.13 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

विवादित कृषि भूमि का खाता प्रतिवादी संख्या 9 के पिता स्व० मदन की सहमति से स्व० तोला के नाम अंकित होने को कथन मनघ्डन्त व निराधार होने से अस्वीकार है। सन् 1981 मे खेत खसरा नंबर 587 के खातेदार तोला पुत्र सुखा की मृत्यु होने पर राजस्वाधिकारीयो की गलती व लापरवाही से विवादित कृषि भुमि का विरासतन नामान्तरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नामगलत रूप सेअंकित होना स्वीकार है लेकिन प्रतिवादी संख्या 9 को उक्त भुमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नही होने से उसका इसमे कोई हिस्सा भुभाग एव कब्जा काश्त नही है। प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा एक दावा माननीय न्यायालय मे वेद प्रकाश बनाम ब्रहमदत्त के नाम से विचाराधीन होना स्वीकार है। जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को मुगालता में डालकर राजीनामा करवा लिया जबकि इसी दावे मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी के पक्ष में पहले से ही राजीनामा प्रस्तुत कर विवादित सम्पूर्ण भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के कब्जे आकार व स्वामित्व की होना अंकित किया तथा प्रतिवादी संख्या 9 व अन्य किसी का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नही होने से प्रतिवादी संख्या 9 अपने नाम किसी भी प्रकार का खाते में संशोधन करवाने का अधिकारी नही है।

भुमि खसरा नंबर 636 रकबा 2.07 हेक्टर कस्बा फतेपुर में अवस्थित होना स्वीकार है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 9 व परिवार के अन्य सदस्य प्रभुदत्त व गोपीदत्त का उक्त भुमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है तथा नहीं इससे इनका कोई भी हिस्सा भू भाग है तथा नही किसी भाग पर कोई कब्जा काश्त पूर्व मे ही रहा व नही वर्तमान मे है व नही इनकी पेत्रिक है।

मद नंबर 5 का कथन अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 9 को सभी तथ्यों की जानकारी है। मद नंबर 6 का कथन गलत होने से अस्वीकार है। वादी को वाद कारण हासिल होने पर ही दावा प्रस्तुत किया गया है। मद नंबर 7 कान अस्वीकार है। वादी पूर्वन्याय पर दावा प्रस्तुत किया है। मद नंबर 8 कानूनी होना स्वीकार है. प्रतिवादी संख्या 9 ने स्वीकार किया है। मद नंबर 9 मनघडन्त व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 9 परिवार के अन्य सदस्य प्रभुदत्त व गोपीदत्त की उक्त कृषि भूमि पेत्रिक नही बल्कि वादी व प्रतिवादीगणसंख्या 3 ता 5 की पेत्रिक है तथा उक्त कृषि भुमि से प्रतिवादीगणसंख्या 9 व अन्य परिवार के सदस्यों का उक्त कृषि भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं होने से उन्हे पक्षकार नही संयोजित किया गया था। मद नंबर 10 गलत होने से अस्वीकार है। वादी माननीय न्यायालय से ही सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है।

<u>विशेषकथन</u>

वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 636 रकबा 2.07 हेक्टर कस्बा फतेहपुर मे अवस्थित होना स्वीकार है, शेष इबारत गलत होने अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 9 व परिवार के अन्य सदस्य प्रभुदत्त व गोपीदत्त की उक्त कृषि भूमि पेत्रिक नही हे नहीं उक्त कृषि भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार कब्जा काश्त हे बल्कि उक्त भूमि सदेव से वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 के कब्जे अधिकार एव स्वामित्व की है तथा उनसे पहले उनके पूर्वज घनश्यामदत्त व उनसे पहले उनके पूर्वज तोला काश्त किया करते थे।

मद नंबर 12 मे सजरा खानदान प्र[illegible] वादी द्वारा प्रस्तुत किये सजरा खानदान मे तोला के भाई [illegible] संख्या 9 तथा घनश्यामदत्त के भाई मुनीन्द्र व उसके पुत्रगण प्रभुदत्त व गोपीदत्त [illegible] नही अंकित किया कि इनका इस भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं रहा न ही [illegible] पेत्रिक है। बल्कि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पूर्वज तोला की स्वअर्जित कृषि भुमि है तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 के पूर्वज तोला व प्रतिवादी संख्या 9 वेदाकाश के मध्य एक लिखित मे फेमेली सेटलमेंट दिनांक 15/5/1982 को हुआ जिसमे वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 के पूर्वजो की अचल सम्पत्ति के बाबत बटवारा किया गया था। लेकिन उक्त फेमिली सटलमेंट में

विवादित कृषि भूमि का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। वास्तव में विवादित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगणसंख्या 3 ता 5 एवं प्रतिवादीगणसंख्या 9 की पैत्रिक होती तो यानि गुलाब का नाम खातेदारी में होता तो इस फेमिली सेटलमेंट से इसका उल्लेख अवश्य होता लेकिन उक्त फेमिली सेटलमेंट में उक्त कृषि भूमि का कही भी उल्लेख नही है इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त कृषि भूमि से प्रतिवादी संख्या 9 का कोई सम्बन्ध सरोकार नहा है।

मद नंबर 13 में वर्णित कथन कि "प्रतिवादी संख्या 9 के पिता की सहमति से स्व0 तोला के नाम खाता चला आ रहा था गलत होने से अस्वीकार है। उक्त कृषि भूमि का खाता स्व0 तोला के नाम शुरु से चला आ रहा था। लेकिन कृषि भूमि खसरा नंबर 527 के खातेदार तोला पुत्र सुखा की सन् 1981 में मृत्यु होने पर राजस्व अधिकारीयो की गलती व लापरवाही से विवादित कृषि भूमि का खाता भी तोला पुत्र सुखा के उत्तराधिकारीयो यानि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम गलत रूप से अंकित हो गया उक्त कृषि भुमि बाबत प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा माननीय न्यायालय मे दावा बउनवानी वेदप्रकाश बनाम ब्रहमदत्त प्रस्तुत किया जाना स्वीकार हे जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को मुगालता देकर राजीनामा लिखवा लिया।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इससे पूर्व वादी व प्रतिवादी गण संख्या 3 ता 5 के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर चुके थे। प्रतिवादी संख्या 9 किसी भी प्रकार से खाते में अपने नाम संशोधन करवाने का अधिकारी नहीं है।

मद नंबर 14 काल्पनिक होने से अस्वीकार है, प्रतिवादी संख्या 9 के पिता स्व० मदन का विवादित कृषि भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नही रहा नही स्व० मदन की पैत्रिक थी व नही परिवार के अन्य सदस्य प्रभुदत्त व गोपीदत्त के सयुक्त कब्जे अधिकार की थी तथा स्व० तोला बडा गई होने से सम्पूर्ण खाता उनके नाम अंकित हो जाने की बात भी गलत होने से अस्वीकार है। उक्त कृषि भूमि स्व० तोला की स्वअर्जित थी इसलिये उनके नाम उक्त कृषि भूमि का खाता बना हुआ था । प्रतिवादी संख्या 9 परिवार के अन्य सदस्य प्रभुदत्त व गोपीदत्त एवं उनके पिता मुनीन्द्र का भी उक्त कृषि भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा बल्कि सदेव से वादी एवं प्रतिवादीगणसंख्या 3 ता 5 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है ।

मद नंबर 15 मनघड़न्त व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 9 व वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पितामह स्व०तोला के मध्य विवादित कृषि भुमि बाबत बाहमि बंटवारा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि प्रतिवादी संख्या 9 का उक्त कृषि भूमि से व नही उसके पिता स्व० मदन का उक्त कृषि भुमि से सम्बन्ध सरोकार नही रहा व नही कभी उनका कब्जा काश्त रहा। यदि वास्तव मे उक्त कृषिभूमि प्रतिवादी संख्या 9 का विवादित कृषि भूमि मे कोई हिस्सा कब्जा काश्त होता तो वादी व प्रतिवादीसंख्या 3 ता 5 के पूर्वज स्व०तोला व प्रतिवादी संख्या के मध्य दिनांक 15/5/1982 को हुवे लिखित फेमिली-सेटलमेंट जो कि अचल सम्पति के बाबत था से इसका उल्लेख अवश्य ही होता लेकिन उक्त फेमिली सटलमेंट में इस कृषि के बाबत कही भी उल्लेख नही किया गया है इससे यह साबित होता है कि प्रतिवादी संख्या 9 का व परिवापर के किसी अन्य सदस्य का विवादित कृषि भूमि से कभी भी कोई सम्बन्ध सरोकार व लेन देन नही रहा इसलिये प्रतिवादी संख्या 9 विवादित कृषि [illegible] किसी भी हिस्से या भूभाग की उद्घोषणा अपने नाम करवाने अधिकारी नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

विवादित कृषि भुमि के खातेदारी प्रतिवादी संख्या 9 के पिता स्व० मदन की सहमति से वादी एवं प्रतिवादी गण संख्या 3 ता 5 के पूर्वज स्व० तोला के नाम खाता अंकित हो जाने की बात अस्वीकार है बल्कि विवादित कृषि भूमि स्व० तोला की कब्जे अधिकार व स्वामित्व की रही है उसके पश्चात वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के कब्जे अधिकार व स्वामित्त्व में सयुंक्त रूप से चली आ रही है, प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा एक दावा माननीय न्यायालय मे बउनवानी वेदप्रकाश बनाम ब्रहम्दत्त आदि प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है जिसमे प्रतिवादी संख्या 9ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को मुगालता देकर राजीनामा अपने पक्षमे प्रस्तुत किया था जबकि इस दावे से कही वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पक्ष मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पहले ही राजीनामा न्यायालयमे आकर पेश कर चुके है और जो माननीय न्यायालय ने तस्दीक भी कर दिया था इसलिये प्रतिवादी संख्या 9 का विवादित कृषिभुमि के सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

मद नंबर 17 काल्पनिक व निराधार होने से सम्पूर्ण रूप से अस्वीकार है।। प्रतिवादीसंख्या 9 का विवादित कृषि भुमि पर कोई कब्जा व काश्त नही हे नही वर्तमान मे कब्जा काश्त हे न ही विवादित कृषि भूमि पर कोई फसल नही बो रखी है इसलिये उसके हिस्से मे से उसको जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नही होता इसलिये कब्जा काश्त नही होने से प्रतिवादीसंख्या 9 किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने काअधिकारी नहीं है।

मद नम्बर 18 काल्पनिक होने से सम्पूर्ण रूप से अस्वीकार है। वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 द्वारा उक्त कृषि भूमि को विक्रय नही किया जा रहा है व ऐलानियां धमकी देने की बात झूठी है इसलिये प्रतिवादी संख्या 9 वादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

मद नंबर 19 मनघड़न्त व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 9 ने व उसके पूर्वज स्व०मदन ने कभी भी विवादित कृषि भुमि को काश्त नही की। इसलिये जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, माननीय न्यायालय मे बउनवानी प्रकरण वेदप्रकाश बनाम ब्रहम्दत्त दावा पेश किया जाना व विचाराधीन होना स्वीकार है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 द्वारा विवादित कृषि भुमि विक्रय करने की कभी भी धमकी नहीं दी इसलिये प्रतिवादी संख्या 9 कोकाउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने का अधिकार पैदा नही है इसलिये काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने योग्य है।

मद नंबर 20 मे वादी को वाद प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है लेकिन प्रतिवादी संख्या 9 को काउन्टर दावा प्रस्तुत करने का लोकस स्टेण्डाई हासिल नही है।।

मद नंबर 21 गलत होने से अस्वीकार है वादी ने किसी भी प्रकार की दुर्भिसंधी के तहत दावा प्रस्तुत नही किया है जबकि वादी ने स्वच्छ हस्त से दावा प्रस्तुत किया है प्रतिवादी संख्या 9 का काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 9 को उक्त दावे मे पक्षकार संयोजित किया [illegible] है। वादी ने परिवार के सदस्य प्रभुदत्त व गोपीदत्त को पक्षकार [illegible] कानूनन ऐसी आवश्यकता महसूस नही की वादी ने [illegible] भी आदेश का उल्लंघन नही किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanw
Date: 2025.02.13 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने दावा निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया गया है इसलिये खारिज किये जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता। प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 को आवश्यक पक्षकार होने से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 सीपीसी की पालना करते हुवे ही पक्षकार संयोजित किया है इसलिये वादी ने सीपीसी की धारा 7 नियम 11 का कोई उल्लंघन नही किया है।

मद नंबर 25 मे वर्णित प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा माननीय न्यायालय मे राजीनामा व इकबाली जबाब को निरस्त करने के बाबत धारा 151 सीपीसी में आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18/2/2011 को खारिज कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा बउनवानी प्रकरण वेदप्रकाश बनाम ब्रहम्दत्त आदि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जो राजीनामा प्रस्तुत किया गया वो राजीनामा कानूनी मैनेटेनेबल नही है क्योकि उक्त राजीनामा एस्टोपल के सिद्वान्त से बाधित है। इसलिये उक्त राजीनामे का वादी के साथ हुवे राजीनामे पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है। प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा काउन्टरक्लेम मैनटेनेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

मद नंबर 26 कानूनी है।

अतः जबाब काउन्टर वाद मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 9 का काउन्टर क्लेम मय हर्जे खर्चे सहित खारिज करने की कृपा करें तथा वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 9 को मय नोकर चाकर एजेन्ट प्रतिनिधी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह विवादित कृषि भुमि के सम्बन्ध मे वादी के कब्जे अधिकार व स्वामित्व मे किसी भी प्रकार हस्तक्षेप नही करे उपयोग– उपभोग मे दखलंदाजी नही करे।

प्रतिवादी नं0 10 की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किये कि वाद पत्र की मद संख्या 1 मे पैत्रिक कृषि भुमि खसरा नम्बर 636 रकबा 2.07 हैक्टेयर वाके कस्बा फतेहपुर की तन में अवस्थित होना स्वीकार है, शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है।

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 व 9 एवं प्रतिवादी संख्या 10 प्रभुदत उर्फ प्रभुदयाल तथा उसके परिवार के अन्य सदस्य भाई गोपीदत उर्फ जयगोपाल की पैत्रिक, कब्जेशुदा विवादित कृषि भुमि खसरा नम्बर 636 रकबा 2.07 हैक्टेयर कस्बा फतेहपुर की तन मे अवस्थित है। जिसमे प्रतिवादी संख्या 9 का 1/2 हिस्सा तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 का प्रत्येक का 1/16 तथा प्रतिवादी संख्या 10 एवं उसके भाई गोपीदत उर्फ जयगोपाले प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा सम्मिलित है।

वाद पत्र की मद संख्या 2 मे वादी ने सजरा खानदान गलत रूप से अंकित किया है।

वाद पत्र की मद संख्या 3 जिस तरह से अंकित की गई है गलत होने से अस्वीकार है सही वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि विवादित कृषि भुमि का खाता प्रतिवादी संख्या 9 के पिता स्व० मदन की सहमति से ही वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 व उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 10 प्रभुदत उर्फ प्रभुदयाल एवं उसके भाई गोपीदत्त उर्फ जयगोपाल के पुर्वज स्व० तोला के नाम से चला आ रहा था। लेकिन सन् 1981 मे विवादित खेत के पड़ौसी अन्य खेत खसरा नम्बर 527 के खातेदार तोला पुत्र सुखा की मृत्यु हुई तो राजस्व अधिकारीयो की गलती एवं लापरवाही से विवादित कृषि भुमि का खाता विरासतन नामान्तरण तोला [illegible] के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज हो गया। जिसकी जानकारी प्रति[illegible] 9 को होने पर प्रतिवादी संख्या 9 ने विवादित कृषि भुमि बाबत [illegible] संशोधन खाता व स्थायी निषेधाज्ञा का बउनवानी [illegible] संख्या 1 ता 5 व 10 व वादी के विरुद्ध पेश किया, जिसके जवाब दावा मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 9 के कथनो की स्वीकारोक्ति कर प्रतिवादी संख्या [illegible] पक्ष में दिनांक 18.10.10 को राजीनामा भी निष्पादित कर विवादित कृषि भुमि के खाते मे संशोधन कर प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज करने पर कोई आप्पती नही होने का कथन किया है, राजीनामा माननीय न्यायालय मे तस्दीक किया जा चुका है, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

जवाबनामा मे भी प्रतिवादी संख्या 10 प्रभुदत उर्फ प्रभुदयाल एवं प्रतिवादी संख्या 10 के भाई गोपीदत उर्फ जयगोपाल का भी 1/8–1/8 हिस्सा होना स्वीकार किया है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम गलत खातेदारी दर्ज हो गई। परिणामतः विवादित कृषि भुमि का वर्तमान खाता प्रतिवादी संख्या 10 के हक अधिकार के समक्ष अवैध व शुन्य होने से निरस्त किया जाकर विवादित कृषि भुमि के 1/8 हिस्से का खाता प्रतिवादी संख्या 10 के नाम से दर्ज कर राजस्व प्रलेखो मे संशोधन किया जाना न्यायोचित व प्रार्थनीय है।

वाद पत्र की मद संख्या 4 में अंकित तथ्य में वादग्रस्त भुमि की खातेदारी अवैध व गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम अंकित होना स्वीकार है शेष तथ्य गलत व झुठे होने से अस्वीकार है विवादित कृषि भुमि की वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि कृषि भुमि खसरा नम्बर 636 रकबा 2.07 हैक्टेयर वाके कस्बा फतेहपुर की तन मे अवस्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 व 9 एवं प्रतिवादी संख्या 10 व उसके परिवार के अन्य सदस्य गोपीदत उर्फ जयगोपाल की पैत्रिक, कब्जेशुदा कृषि भुमि खसरा नम्बर 636 रकबा 2.07 हैक्टेयर कस्बा फतेहपुर जिला सीकर की तन मे अवस्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 9 का 1/2 हिस्सा, तथा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 का प्रत्येक का 1/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 10 उत्तरदाता प्रभुदत उर्फ प्रभुदयाल व गोपीदत उर्फ जयगोपाल प्रत्येक का 1/8 1/8 हिस्सा सम्मिलित है।

वाद पत्र की मद संख्या 5 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार है। वादी को वाद कारण हासिल नहीं है वादी का वाद वादकारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र मद संख्या 7 कानूनी है। वाद पत्र मद संख्या 8 कानूनी है।

वाद पत्र की मद संख्या 9 गलत होने से अस्वीकार है। वादी ने दुरभि संधि के तहत वाद पत्र पेश किया है. वादी ने आवश्यक पक्षकारो को पक्षकार संयोजित नहीं कर वाद पत्र पेश किया है प्रतिवादी संख्या 9 को माननीय न्यायालय के दिनांक 04.02.2011 के आदेशानुसार प्रतिवादी संख्या 9 के रूप में आवश्यक पक्षकार संयोजित किया गया है। वही वादी ने परिवार के सदस्य जिसका वादग्रस्त कृषि भुमि मे हित निहित है, जो वादी के चाचा स्व० मुनीन्द के लडके उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 10 प्रभुदत उर्फ प्रभुदयाल को व प्रतिवादी संख्या 10 के भाई गोपीदत उर्फ जयगोपाल को आवश्यक पक्षकार होने के बावजुद भी पक्षकार नही बनाया, उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 10 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 101–12 की अनुपालना में पक्षकार संयोजित किया है। परिणामतः वादी का वाद पक्षकारो को आवश्यक संयोजक नही करने से सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

वाद पत्र की मद संख्या 10 मय उपधारायें (क), (ख), (ग) व (घ) गलत होने से अस्वीकार है वादी का वाद दुरभी संधि के तहत व झूठा, मिथ्या दावा होने से वादी माननीय न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

विशेष कथन

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 व 9 एवं उ[illegible] परिवार के अन्य सदस्य प्रतिवादी संख्या 10 प्रभुदत उर्फ प्रभुदयाल व गोपीद[illegible] भुमि खसरा नम्बर 636 रकबा 2.07 हैक्टेयर जो [illegible] सीकर की तन मे अवस्थित है, जिसमे प्रतिवादी संख्या 9 का 1/2 हिस्सा तथा वादी व प्र[illegible]दीगण संख्या 3 ता 5 प्रत्येक का 1/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 10 प्रभुदत उर्फ प्रभुदयाल व गोपीदत उर्फ जयगोपाल प्रत्येक का 1/8 1/8 हिस्सा सम्मिलित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर(राज.)

वर्तमान मे वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 व 9 तथा उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 10 प्रभुदत्त उर्फ प्रभुदयाल विवादित कृषि भुमि के अपने– अपने हिस्से पर भौतिक रूप से क़ाबिज होकर विवादित कृषि भुमि का उपयोग – उपभोग निरन्तर निर्बाध रूप से करते चले आ रहे है।

विवादित कृषि भुमि का खाता प्रतिवादी संख्या 9 स्व० मदन की सहमति से ही वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 व 10 के पुर्वज स्व० तोला के नाम से चला आ रहा था। लेकिन सन् 1981 मे विवादित खेत के पड़ौसी अन्य खेत खसरा नम्बर 527 के खातेदार तोला पुत्र सुखा की मृत्यु हुई तो राजस्व अधिकारीयो की गलती एवं लापरवाही से विवादित कृषि भुमि का खाता विरासन नामान्तरण तोला वल्द सुखा के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज हो गया। जिसकी जानकारी प्रतिवादी को होने पर प्रतिवादी संख्या 9 ने विवादित कृषि भुमि बाबत माननीय न्यायालय मे एक वाद बाबत उदघोषणा, संशोधन खाता व स्थायी निषेधाज्ञा का बउनवानी वेदप्रकाश बनाम ब्रहनदत्त आदि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व 10 व वादी के विरूद्ध पेश किया, जिसके जवाब दावा मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 9 के कथनो की स्वीकारोक्ति कर प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में दिनांक 18.10. 10 को राजीनामा भी निष्पादित कर विवादित कृषि भुमि के खाते मे संशोधन कर प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज करने पर कोई आप्पती नही होने का कथन किया है, राजीनामा माननीय न्यायालय मे तस्दीक किया जा चुका है।

उक्त विवादित कृषि भुमि प्रतिवादी संख्या 9 के पिता स्व० मदन एवं वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 व 10 व अन्य परिवार के सदस्य गोपीदत्त उर्फ जयगोपाल के पितामह स्व० तोला की पैत्रिक व संयुक्त कब्जे अधिकार की कृषि भुमि थी, जिसे उन्होने संयुक्त रूप से काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण किया। इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 9 व वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 के पुर्वक स्व० तोला आपस में संयुक्त रूप से सम्पुर्ण भुमि को काश्त कर उपयोग उपभोग निरन्तर रूप से लेते चले आ रहे थे। वर्तमान ममे उत्तरदाता/प्रतिवादी संख्या 10 विवादित कृषि भुमि मे अपने 1/8, 1/8 हिस्से पर निरन्तर निर्बाध रूप से काश्त कर उपयोग– उपभोग कर रहा है। परिणामतः उत्तरदाता/प्रतिवादी संख्या 10 अपना 1/8 हिस्से का बटवारा अलग से करवाकर अपने नाम से उदघोषित करवाने का अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 9 के पिता की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 9 के चाचा स्व० तोला जो कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 व 10 का पितामह है ने वादी को विवादित कृषि भुनि के लिये आपस मे समाज में भाई चारा, प्रेम सम्बंध बनायें रखने एवं भविष्य में उक्त विवादित कृषि भुनि के लिये उत्पन्न होने वाले विवाद को टालने के लिये समाज के बुजुर्ग व्यक्तियों के समक्ष ग्राहगी बटवारा कर विवादित कृषि भूमि के 1/2 भाग को जो कि प्रतिवादी संख्या 9 के पिता स्व० मदन के हिस्से की थी, को प्रतिवादी संख्या 9 को सम्भला दिया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 प्रत्येक [illegible] 1/16 तथा उत्तरदाता/प्रतिवादी संख्या 10 प्रभुद[illegible] प्रत्येक को 1/8 1/8 हिस्सा सम्भला दिया तब [illegible] उत्तरदाता विवादित कृषि भुमि के अपने 1/8 हिस्से की भुमि पर काबिज होकर काश्त कर [illegible] उपभोग कर रहा है। वादी की नियत खराब है वादी उत्तरदाता के हिस्से की भुमि को ह[illegible] चाहता है, जिसका कि उसे कोई वैध हक अधिकार नही है वादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर(राज.)

विवादित कृषि भुमि का खाता प्रतिवादी संख्या 9 के पिता स्व० मदन की सहमति से ही वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 व उतरदाता प्रतिवादी संख्या 10 प्रभुदत उर्फ प्रभुदयाल एवं उसके भाई गोपीदत उर्फ जयगोपाल के पुर्वज स्व० तोला के नाम से चला आ रहा था। लेकिन सन् 1981 मे विवादित खेत के पड़ौसी अन्य खेत खसरा नम्बर 527 के खातेदार तोला पुत्र सुखा की मृत्यु हुई तो राजस्व अधिकारीयो की गलती एवं लापरवाही से विवादित कृषि भुमि का खाता विरासत नामान्तरण तोला वल्द सुखा के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज हो गया। जिसकी जानकारी प्रतिवादी को होने पर प्रतिवादी संख्या 9 ने विवादित कृषि भुमि बाबत माननीय न्यायालय मे एक वाद बावत उदघोषणा, संशोधन खाता व स्थायी निषेधाज्ञा का बउनवानी वेदप्रकाश बनाम ब्रहमदत आदि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व 10 व वादी के विरूद्ध पेश किया, जिसके जवाब दावा मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 9 के कथनो की स्वीकारोक्ति कर प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष मे दिनांक 18.10.10 को राजीनामा भी निष्पादित कर विवादित कृषि भुमि के खाते मे संशोधन कर प्रतिवादी संख्या 9 के नाम दर्ज करने पर कोई आप्पती नही होने का कथन किया है, राजीनामा माननीय न्यायालय मे तस्दीक किया जा चुका है। परिणामतः विवादित कृषि भुमि का वर्तमान खाता प्रतिवादी संख्या 10 के हक अधिकार के समक्ष अवैध व शुन्य होने से निरस्त किया जाकर विवादित कृषि भुमि का खाता प्रतिवादी संख्या 10 का 1/8 हिस्सा उसके नाम से दर्ज किया जाकर राजस्व प्रलेखो मे संशोधन किया जाना न्यायोचित व प्रार्थनीय है।

विवादित कृषि भुमि के 1/8 भाग पर प्रतिवादी संख्या 10 का आज भी मौके पर भौतिक रूप से कब्जा है, जो प्रतिवादी संख्या 10 का उसके पिता के जीवनकाल से ही चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 10 के 1/8 हिस्से मे वादी व दीगर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 अन्य भू माफियाओं के साथ मिलकर प्रतिवादी संख्या 10 की विवादित कृषि भुमि के 1/8 हिस्से से जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने को तत्पर है। जिनका कि उन्हे कोई वैध हक अधिकार नही है, परिणामतः वादी को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व 9 को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का अधिकारी है।

वर्तमान समय में विवादित कृषि भमि शहर के नजदीक होने से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 दीगर प्रतिवादीगण संख्या 7, 8 व 9 से मिलकर विवादित कृषि भुमि को भू माफिया गिरोह के व्यक्तियों को विक्रय करने का प्रयास कर रहे तदर्थ वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 के द्वारा ऐलानिया धमकिया भी दी जा रही है। जिन्हे प्रतिवादी संख्या 10 जरियें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है।

वादी जब दिनांक 20.03.12 को अपने खेत को सम्भालने के लिये आया तब वादी ने आकर विवादित खेत की जमाबन्दी दिखाते हुये कहा कि वे इस विवादित कृषि भुमि पर कब्जा कर लेगे तथा अन्य भू माफियों को विक्रय कर देंगे इस पर प्रतिवादी संख्या 10 ने वादी को काफी समझाया कि प्रतिवादी संख्या 10 विवादित कृषि भुमि पर वह अपने पुर्वजो के समय से कब्जे मे काश्त करता चला आ रहा है, अन्ततः वादी [illegible] खेत से बेदखल व बेकब्जा कर विवादित कृषि भुमि को विक्रय करने की धम[illegible]है। परिणामतः प्रतिवादी को वादाधार पैदा होने से काउन्टर वाद स[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwa
Date: 2025.02.13 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

वादी को वाद पेश करने का कोई लोक[illegible] परिणामतः वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य हैं।

वादी ने माननीय न्यायालय में गलत रूप से प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 से मिलकर दुरभी संधि के तहत वाद पेश किया है, जो कानूनन पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर(राज.)

प्रतिवादी संख्या 10 / उत्तरदाता माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 10–1–2012 के अनुसार बतौर प्रतिवादी संयोजित किया गया है, तथा वादी ने प्रतिवादी संख्या 9 वेदप्रकाश व वादी के ही परिवार के सदस्य अपने चाचा मुनीन्द्र के पुत्र प्रतिवादी संख्या 10/ उत्तरदाता/प्रभुदत उर्फ प्रभुदयाल व गोपीदत उर्फ जयगोपाल जिनका वाद में गम्भीर हित निहित है, को आवश्यक पक्षकार संयोजित नही कर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेशात्मक प्रावधान की अवहेलना कर वाद पेश किया परिणामतः वादी का वाद पक्षकार के कुयोजन व संयोजन के अभाव मे कानूनन पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

वादी ने वाद विधनुसार निर्धारित न्यायशुल्क से कम न्याय शुल्क पर पेश किया है जो कि अपर्याप्त न्यायशुल्क के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मे संयोजित प्रतिवादी संख्या 6, 7 व 8 लोक सेवक की श्रेणी मे आते है जिन्हे वाद दायरी से दो माह पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिय जाना आवश्यक है मगर वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8 को सी.पी.सी. के आदेशात्मक प्रावधान के तहत धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये बगैर ही वादी ने माननीय न्यायालय मे वाद पेश किया परिणामतः वादी का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता मे आदेशात्मक प्रावधान आदेश 7 नियम 11 के तहत सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने द्वारा पूर्व मे वादी के पक्ष मे प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा व राजीनामा को वादी ने छल कपट के आधार पर पेश करवाने के कथन के आधार पर राजीनामा व जवाब दावा खारिज करने हेतु माननीय न्यायालय में धारा 151 सी.पी.सी. का आवेदन भी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने पेश किया है, परिणामतः वादी का वाद मिथ्या, छल कपट पर आधारित होने से वादी माननीय मे स्वच्छ हाथों से माननीय न्यायालय में प्रवेश नही किया है, वही प्रतिवादी संख्या 9 के द्वारा विवादित कृषि भुमि के सम्बंध में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद बउनवानी वेदप्रकाश बनाम ब्रहमदत्त आदि मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा राजीनामा पेश किया, जो राजीनामा माननीय न्यायालय में तस्दीक किया जा चुका है। परिणामतः वादी माननीय न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारीनही है वादी का वाद खारिज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाना न्यायोचित व प्रार्थनीय है।

जवाब दावा मय काउन्टर का होने से 6/– रूपयें के न्यायशुल्क पर सादर प्रस्तुत है।

अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज कर प्रतिवादी संख्या 10 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर उदघोषणा पारित की जावें कि प्रतिवादी संख्या 10 विवादित कृषि भुमि खसरा नम्बर 636 रक्बा 2.07 हैक्टेयर कस्बा फतेहपुर की तन मे अवस्थित है, का 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा वर्तमान खाता निरस्त किया जाकर प्रतिवादी संख्या 10 का नाम विवादित कृषि भुमि के 1/8 हिस्से मे खातेदार काश्तकार के रूप मे नामान्तरण दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व प्रलेखो में संशोधन किया जाकर वादी मय नौकर, चाकर, परिजन, एजेन्ट, प्रतिनिधि [illegible] स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे विवादित कृषि भुमि मे प्रति[illegible] सं[illegible]0 को उसके 1/8 हिस्से के कब्जे, अधिकार उपयोग उपभोग [illegible] की दखलअन्दाजी वादी उत्पन्न नही करें व विवादित [illegible] 10 के 1/8 हिस्से को हस्तान्तरण, विक्रय पत्र अन्य किस्म की अन्तरण पत्र, दानपत्र, [illegible] पत्र निष्पादित व पंजीकृत वादी न ही करें व करावें तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwa
Date: 2025.02.13 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-शेखावाटी (सीकर)

प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम का जवाब वादी ने प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि मद नंबर 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नंबर 636 रकबा 2.07 हेक्टर वाके कस्बा फतेहपुर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 व 10 की प्रेत्रिक होने का कथन गलत होने से अस्वीकार है। तथा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का उक्त कृषि भूमि में कोई कब्जा न तो वर्तमान मे हे और न ही कभी पहले रहा है न ही कोई हक हिस्सा उक्त भुमि मे प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का है।

मद नंबर 2 मे वादी ने अपने परिवार का सजरा खानदान सही रूप से दर्शाया है। वादी ने अपने पूर्वज गुलाब का नाम सजरा खानदान में केवल तोला, गुलाब का पुत्र है यह पहचान बताने के लिये सजरा खानदान मे अंकित किया हे तथा दावे मे तोला पुत्र गुला अंकित करना आवश्यक था क्योकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता का नाम भी तोला था और इसी कारण सहवन से राजस्व अधिकारीयो की लापरवाही से विवादि कृषि भूमि का खाता गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम विरासतन बन गया था। वंशावली में इसलिये गुलाब के दूसरे पुत्र मदन व मदन के पुत्र वेदप्रकाश को नही दशाया क्योकि विवादित कृषि भूमि में इनका कोई हक हिस्सा व कब्जा काश्त कभी नही रहा।

मद संख्या 3 का कथन कि खाता प्रतिवादी संख्या 9 के पिता मदन की सहमति से स्व तोला के चला आ रहा था गलत होने से अस्वीकार हे विवादित कृषि भुमि स्व० तोला की स्वअर्जित सम्पति है। जिससे, प्रतिवादी संख्या 9 के पिता स्व० मदन का कभी कोई सम्बन्ध सरोकार नही रहा हे एवं नही किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा काश्त रहा। जहां तक प्रतिवादी संख्या 10 का प्रश्न हे उसका भी विवादित कृर्षि भूमि के किसी भी हिस्से से कभी भी कोई सम्बन्ध सरोकार नही रहा क्योकि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पूर्वज स्व० तोला द्वारा मुनिन्द्र को विवादित कृषि भूमि की एवज मे अन्य सम्पति दे दी गई थी इसलिये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ही विवादित कृर्षि भुमि के अकेले सम्पूर्ण रकबे पर काश्त करते चले आ रहे हे एवं इन्ही का मौके पर कब्जा है। जहां तक वेदप्रकाश बनाम प्रश्नदत्त के दावे मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष मे राजीनामा की बात हे उक्त राजीनामा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रतिवादीसंख्या 9 का रिस्तेदार होने से प्रतिवादी संख्या 9 के कहने पर भावना के वशीभुत होकर राजीनामा पर हस्ताक्षर कर दिये। जबकि इस इसी दावे मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पक्ष मे भी राजीनामा प्रस्तुत किया है जो सही है तथा तस्दीक भी हो चुका हे।

मद नंबर 4 मे प्रतिवादी संख्या 10 ने पैत्रिक सम्पति होने का कथन किया हे जो गलत होने से अस्वीकार हे प्रतिवादी संख्या 10 के पिता मुनिन्द्र ने विवादित कृषि भूमि के किसी भी हिस्से को कभी भी काश्त नही किया व नही इनका किसी हिस्से पर कभी कोई कब्जा रहा बल्कि सदेव से वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 व इससे पहले उनके पिता धनश्यामदत्त अकेले काश्त करते थे। प्रतिवादी संख्या 10 व उसके अन्य भाई गोपीदत्त उर्फ जयगोपाल का किसी भी हिस्से पर विवादित भूमि से कोई कब्जा काश्त नही [illegible] कोई कब्जा काश्त है।

मद नंबर 5 गलत होने से अस्वीकार है। [illegible] संख्या 9 के मध्य हुवे विधिवत बंटवारा की तथा प्रतिवादी [illegible] की बाबत बंटवारे मे उक्त कृषि भूमि के उसके हिस्से की एवज में अन्य सम्पति दिये जाने की बात की जानकारी प्रतिवादी संख्या 10 को है।

मद नंबर 6 अस्वीकार हे वादी को वाद कारण उत्पन्न होने पर ही सही रूप से दावा प्रस्तुत किया हे। मद नंबर 7 कानूनी अंकित की हे। मद नंबर 8 कानूनी अंकित की हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanw
Date: 2025.02.13 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

मद नंबर 9 में अंकित कथन कि वादी ने दुरभि संधि के तहत दावा प्रस्तुत किया हे गलत होने से अस्वीकार हे वादी ने किसी से भी दुरभि संधि नही की हे। वादीने सदभाविक रूप से सही दावा प्रस्तुत किया हे।

मद नंबर 10 प्रतिवादी संख्या 10 के कथनानुसार अस्वीकार हे वादी माननीय न्यायालयमे सही प्रकार की सहायता जो वाद पत्र मे अंकित की हे प्राप्त करने का अधिकारी है।

मद नंबर 11 काल्पनिक होने से अस्वीकार हे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के अलावा किसी भी व्यक्ति का विवादित भुमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। नही किसी का वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के अलावा कोई कब्जा काश्त हे। वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के अलावा किसी भी व्यक्ति का कोई हिस्सा नही है बल्कि सम्पूर्ण रकबे पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 सयुंक्त रूप से काबिज हे तथा व ही विवादित भूमि को बिना किसी बाधा के साधिकार निर्बाद्ध रूप से काश्त करते चले आ रहे है।

मद नंबर 12 से अंकित सबरा खानदान से वादी के पूर्वज गुलाब के एक पुत्र मदन होना स्वीकार हे लेकिन उसका विवादित भूमि मे कभी कोई लेना देना सम्बन्ध सरोकार नही रहा इसलिये वादी ने उसे अपने सजरा खानदान मे अंकित नही किया वादी के पूर्वज गुलाब को सजरा खानदान मे इसलिये अंकित किया कि तोला जो वादी का दादा है उनकी पहचान बताने के लिये की वह गुलाब का पुत्र हे। गुलाब के दूसरे पुत्र मदन को सजरा खानदान मे अंकित करने का कोई औचित्य नही है।

मद नंबर 13 का कथन कि खाता प्रतिवादी संख्या 9 के पिता मदन की सहमति से स्व० तोला के नाम चला आ रहा था 'गलत होने से अस्वीकार है विवादित कृषि भूमि स्व तोला की स्वअर्जित सम्पति हे। जिससे प्रतिवादी संख्या 9 के पिता स्व० मदन का कभी कोई सम्बन्ध सरोकार नही रहा एवं नही विवादित भुमि के किसी हिस्से पर कोई कब्जा काश्त रहा जहां तक प्रतिवादी संख्या 10 का प्रश्न हे उसका या उसके पिता मुनीन्द्र का विवादित कृषि भूमि के किसी भी हिस्से से कभी कोई सम्बन्ध सरोकार नही रहा क्योंकि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पूर्वज स्व तोला मुनीन्द्र के मध्य बाहमी बंटवारे में प्रतिवादी संख्या 10 के पिता मुनीन्द्र की विवादित कृषि भूमि की एवज मे अन्य सम्पत्ति दे दी गई इसलिये वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ही विवादित कृषि भूमि को अकेले सम्पूर्ण रकबे पर काश्त करते चले आ रहे हे एवं इन्ही का मोके पर कब्जा है।

मद नंबर 14 मनघडन्त व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का विवादित भूमि से न तो पूर्व मे कोई सम्बन्ध सरोकार कब्जा काश्त रहा ओर नही वर्तमान में उनका विवादित भुमि पर कोई कब्जा काश्त है। नही वादी तथा प्रतिवादीसंख्या 9 व 10 के कभी संयुक्त कब्जे में रही हे बल्कि विवादित भूमि के सम्पूर्न रकबे पर सदेव से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का ही कब्जा काश्त रहा इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का विवादित भुमि पर कभी भी कोई कब्जा नही रहा। विवादित भूमि के किसी भी हिस्से से प्रतिवादीसंख्या 9व 10 का कोई सम्बन्ध अथवा कब्जा काश्त नही हे इसलिये प्रतिवादी संख्या [illegible] से बटवारा करने का प्रश्न ही पेदा नही होता।

मद नंबर 15 निराधार होने से सम्पूर्ण रूप [illegible] वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के अलावा किसी का भी कोई सम्बन्ध सरोकार पूर्व [illegible] रहा। वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 व 10 के पितामह द्वारा विवादित भूमि का बाहमी [illegible] द्वारा विभाजन करने की कहानी मनघडन्त हे विवादित भूमि के किसी भी हिस्से से प्रतिवादी संख्या9 व 10 पिता क्रमशः स्व० मदन व मुनीन्द्र ने विवादित भूमि का कभी भी काश्त नही किया व नही उनका कब्जा कभी रहा बल्कि प्रतिवादी संख्या 9 व 10 स्व० तोला के मध्य एक लिखत फेमिली सेटलमेंट हुआ था लेकिन उक्त सेटलमेंट से विवादित कृषि भूमि का कभी भी उल्लेख नही किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanw
Date: 2025.02.13 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

या है। वास्तव मे विवादित भुमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 व 10 की पैत्रिक संयुक्त कब्जे
काश्त की होती तो इस फेमिली सटलमेंट में अवश्य ही इसका उल्लेख होता। तथा प्रतिवादी
संख्या 10 के पिता स्व० मुनीन्द्र को विवादित कृषि भूमि के हिस्से की एवज मे अन्य सम्पति दे दो
गई थी इससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित कृषि भूमि से प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का कोई
सम्बन्ध सरोकार नही है इसलिये वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का कोई औचित्य
नही है।

मद नंबर 16 का कथन किया प्रतिवादी संख्या 9 के पिता मदन की सहमति से स्व० तोला
के चला आ रहा था गलत होने से अस्वीकार है। विवादित कृषि भूमि स्व0 तोला की स्वअर्जित
सम्पति है जिसमे प्रतिवादी संख्या 9 के पिता स्व० मदन का कभी कोई सम्बन्ध सरोकार नही रहा
क्योकि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पूर्वज स्व तौला व मुन्नीद्र के मध्य बाहमी बंटवारे मे
प्रतिवादी संख्या 10 के पिता मुनीन्द्र को विवादित कृषि भूमि की एवज में अन्य सम्पति में दी गई
थी इसलिये वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ही विवादित कृषि भूमि को अकेले सम्पूर्ण रकबे पर
काश्त करते चले आ रहे है। एवं इन्ही का मौके पर कब्जा है जहां तक वेदप्रकाश बनाम ब्रहमदत्त
के दावे में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष मे राजीनामा की बात है उक्त
राजीनामा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 9 का रिश्तेदार होते से प्रतिवादी संख्या 9 के
अनुचित प्रभाव में आकर भावना के वशीभूत होकर राजीनामा पर हस्ताक्षर दिये। जबकि इसी दावे
में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पक्ष मैत्री राजीनामा प्रस्तुत
किया है जो सही है तथा तस्दीक हो चुका है।

मद नंबर 17 गलत होने से सम्पूर्ण रूप से अस्वीकार है विवादित कृषि भूमि के किसी
भी हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 10 का अथवा उसके पिता का कभी कोई कब्जा काश्त पूर्व मे भी
नहीं रहा तथा वर्तमान मे भी नही है जब मौके पर प्रतिवादी संख्या 10 का कोई काश्त है ही नहीं
तो उनके कब्जे मे दखल देने का प्रश्न ही पेदा नही होता, तथा उसे बेदखल करने की बात
काल्पनिक है इसलिये वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का कोई औचित्य नही है।

मद नंबर 18 पूर्णतया काल्पनिक होने से अस्वीकार है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता
6 से मिलकर दिगर व्यक्ति को विक्रय करने की झूठी कहानी है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 3
ता 5 इस ऐलानियां धमकी देने की बात बिल्कुल मनघडन्त है इसलिये वादी को स्थायी निषेधाज्ञा
से पाबंद करने का कोई औचित्य नही है।

मद नंबर 19 निराधार व गलत होनेसे अस्वीकार है, दिनांक 20/3/12 को खेत सम्भलाने
जाने की बात अकल्पनीय है क्योंकि विवादित खेत से प्रतिवादी संख्या 10 का न तो पूर्व मे कोई
सम्बन्ध सरोकार कब्जा काश्त रहा और नहीं के वर्तमान मे है तथा दिनांक 20/3/2012 को
प्रतिवादी संख्या 10 फतेहपुर मे न रहकर फतेहपुर से बाहर था। प्रतिवादी संख्या 10 स्थायी रूप
से फतेहपुर से बाहर निवास कर रहा है उसको विक्रय की ऐलानियां धमकी विवादित कृषि भूमि
पर देने की एकदम झूठी बात है। प्रतिवादी संख्या 10 को किसी भी प्रकार का वादाधार संस्थित
नही हुआ है इसलिये काउन्टर क्लेम बिना वाद का [illegible] योग्य
है।

मद संख्या 20 अस्वीकार है वादी को किस [illegible]
स्पष्ट नही किया है। मद नंबर 21 अस्वीकार है [illegible] वादी ने दावा
प्रस्तुत किया है वादी ने प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के साथ कोई दुरभि संधि [illegible] की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwa
Date: 2025.02.13 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-शेखावाटी(सीकर)

मद नंबर 22 के कथनानुसार प्रतिवादी संख्या 10 के भाई गोपीदत्त उर्फ जयगोपाल का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नही हे इसलिये उसको इस मुकदमे पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य नही हे वादी ने कोई पक्षकार का कुसंयोजन नही किया हे। मद नंबर 23 अस्वीकार हे माननीय न्यायालय मे पूर्ण कोर्ट फीस पर दावा प्रस्तुत किया है। मद नंबर 24 सम्पूर्णतः अस्वीकार हे प्रतिवादी संख्या 10 ने अपना काउन्टर क्लेम किस प्रकार मेन्टेनेबल है यह स्पष्ट नही किया है इसलिये काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने योग्य हे। मद नंबर 25 वास्तविकता से काफी दूर होनेइ से सम्पूर्ण रूप से अस्वीकार है वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ राजीनामा सद्भाविक रूप से प्रस्तुत किया हे नकि छल कपट के आधार पर इसलिये राजीनामा माननीय न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। प्रतिवादी संख्या 9 के द्वारा राजीनामा पर हस्ताक्षर वेदप्रकाश बनाम ब्रहम्दत्त के दावे मे अनुचित प्रभाव मे लेकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से हस्ताक्षर करवाये हे इसलिये बाद वाला राजीनामा मेन्टनेबल नही होने से स्वतः निरस्तीय हे प्रतिवादी संख्या 10 माननीय न्यायालय से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है इसलिये काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने योग्य हे।

अतः जबाब काउन्टर क्लेम मय शपथ पत्रप्रस्तुत कर निवेदन हे कि प्रतिवादी संख्या 10 ने यह काउन्टर क्लेम महज वादी के दावे को विलम्बित करने के उद्देश्य से प्रतिवादी संख्या 9 के बहकावे में आकर बिना किसी अधिकार व बिना वाद कारण के झूठा निराधार काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया हे जो मय हर्जे खर्चे सहित खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा वादी का दावा डिक्री किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रकरण में निम्न विवाद्यकों का निर्धारण किया गया:–

1. आया वाद खसरा नंबर 636 कस्बा फतेहपुर का खाता वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के नाम उद्घोषित कराने व खाता संशोधित कराने का अधिकारी है।

–बजिम्मे वादी

2. आया वादी भूमि खसरा नम्बर 636 कस्बा फतेहपुर का हस्तान्तरण नही करने व कब्जे काश्त में दखल नहीं देने बाबत प्रतिवादी संख्या 1, 2, 7 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

– बजिम्मे वादी

3. आया दावा वादी वाद कारण के अभाव में खारिज योग्य है।

– बजिम्मे प्रतिवादी 9

4. आया वादी को वाद पेश करने का लोकस स्टेण्डाई हासिल नहीं है।

– बजिम्मे प्रतिवादी 9

5. आया वादी का वाद पक्षकार में कुयोजन व संयोजन के अभाव में खारिज योग्य है।

– बजिम्मे प्रतिवादी 9

6. आया वाद वादी अपर्याप्त न्याय शुल्क के आधार पर पेश किया है, जो खारिज योग्य है।

– बजिम्मे प्रतिवादी 9

7. आया वाद वादी आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किये जाने योग्य है।

– बजिम्मे प्रतिवादी 9

8. आया प्रतिवादी संख्या 9 भूमि खसरा नम्बर 636 का 1/2 हिस्सा का खाता अपने नाम उदघोषित कराने का अधिकारी है।

– बजिम्मे प्रतिवादी 9

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

9 आया प्रतिवादी सं. 9 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को 1/2 हिस्से में दखलंदाजी नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

— बजिम्मे प्रतिवादी 9

10. दादरसी।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये–

1. साक्ष्य शपथ पत्र PW1 विजयदत्त पुत्र घनश्यामदत्त जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नं. 31 भातरा की बगीची के पास फतेहपुर जिला सीकर।
2. साक्ष्य शपथ पत्र PW2 गौरी शंकर पुत्र सीताराम जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नं. 31 फतेहपुर जिला सीकर।
3. साक्ष्य शपथ पत्र PW3 प्रमोद कुमार जोशी पुत्र जगदीश प्रसाद जोशी जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 16 फतेहपुर जिला सीकर।
4. साक्ष्य शपथ पत्र PW4 निरंजन लाल पुत्र बिड़दीचंद जाति माली निवासी रामगढ़ रोड़ फतेहपुर जिला सीकर।
5. प्रतिलिपि जमाबंदी प्रदर्श–1 ता 3 (सवंत 2059–62, 2030–33,2011–14)
6. प्रतिलिपि जमाबन्दी – 4 ता 6 (संवत 2027–30, 2036–38, 2030–33)
7. नामांतकरण संख्या 1476– प्रदर्श–7
8. पक्षकारान के मध्य राजीनामा प्रदर्श–8
9. मृत्यु प्रमाण पत्र असल– प्रदर्श–9
10. मृत्यु प्रमाण पत्र तोलाराम प्रदर्श–10
11. पारिवारीक सेटलमेंट प्रदर्श–11

प्रतिवादीगण की ओर से निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये–

1. साक्ष्य शपथ पत्र DW1 वेदप्रकाश पुत्र मदनलाल जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नं. 31 भातरा की बगीची के पास, फतेहपुर जिला सीकर
2. साक्ष्य शपथ पत्र DW 2 सोहनराम पुत्र तोलाराम जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नं. 12 फतेहपुर जिला सीकर
3. साक्ष्य शपथ पत्र DW 3 पवन कुमार पुत्र प्रहलाद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 33 फतेहपुर जिला सीकर
4. साक्ष्य शपथ पत्र DW 4 राजकुमार पुत्र भोलाराम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 34 फतेहपुर जिला सीकर
5. साक्ष्य शपथ पत्र DW 5 मंगलचन्द पुत्र चोथमल जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नं. 33 फतेहपुर जिला सीकर
6. साक्ष्य शपथ पत्र DW 6 भीमराज पुत्र बंसतलाल जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नं. 33 फतेहपुर जिला सीकर

उक्त अभिलेखीय स्थिति अनुसार वादीगण [illegible] नोरंगा वल्द भेरू खाती राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में [illegible] किशनपुरा व ठीठावता बोडिया में कृषक के रूप में स्वीकार है [illegible] नोरंगा कौम खाती सा. बीराणीया के वारिस प्रतिवादी [illegible] स्पष्ट परिलक्षित है क्योंकि ग्राम किशनपुरा सम्वत 2013–2016, 2017–20, [illegible] की जमाबन्दी में अर्थात 1955 से पूर्व ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 के [illegible] नोरंगा वल्द भेरू खाती सा. बीरानीया जमाबन्दी के कालम सख्या 5 में "नाम कृषक विवरण सहित और कृषिकाल" में नोरंगा वल्द भेरू खाती सा. बीरानीया दर्ज है तथा ग्राम ठिठावता बोडिया ख0न0 12 की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2011–13 के कॉलम संख्या 6 'नाम कृषक विवरण सहित और कृषिकाल" में नोरंगा वल्द भेरू खाती सा. बीरानीया रकबा 31 बीघा उपकृषक के रूप में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

बाद साक्ष्य विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गयी। बाद बहस पत्रावली
का आद्योपान्त गहन, मनन अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत
तर्कों पर भी विचार किया गया। तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है–

तनकी नं0 1– आया वाद खसरा नंबर 636 कस्बा फतेहपुर का खाता वादी व प्रतिवादी
संख्या 3 ता 5 के नाम उद्घोषित कराने व खाता संशोधित कराने का अधिकारी है?

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीग पर था। वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य
प्रदर्श– 7 के अवलोकन से तो स्पष्ट है कि कस्बा फतेहपुर ख0न0 636 की खसरा गिरदावरी
सम्वत् 2011–13 के कॉलम संख्या 5 "नाम कृषक विवरण सहित और कृषिकाल" में तोला पुत्र
गुलाब जाति खाती सा. देह कृषक के रूप में दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत् 2030–33 के कॉलम
संख्या 3 में तोला पुत्र गुलाब जाति खाती सा. देह अंकित किया गया है।

उक्त अभिलेखीय स्थिति अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पूर्वज तोला पुत्र
गुलाब जाति खाती राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने पर कृषक के रूप में
स्वीकार है एवं अभिलिखित है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पैतृक है। गत खसरा नम्बर 636
रकबा 2.07है0 में से 31 बीघा भूमि का खाता वर्तमान प्रविष्ठियां सोहन व शुभकरण पिता लाला
प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम त्रुटिपूर्ण स्पष्ट परिलक्षित है क्योंकि 1955 से पूर्व ही तोला पुत्र
गुलाब जाति खाती खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या 5 में नाम कृषक विवरण सहित और
कृषिकाल में कृषक के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि पैतृक होने से वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5
ब.हि.ब. स्वतः खातेदार हो गये परन्तु राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण प्रविष्ठियों के कारण
प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज चला आ रहा है। अतः उक्त तनकी बहक वादी तय की
जाती है।

तनकी नं0 2 – आया वादी भूमि खसरा नम्बर 636 कस्बा फतेहपुर का हस्तान्तरण नही
करने व कब्जे काश्त में दखल नही देने बाबत प्रतिवादी संख्या 1, 2, 7 को स्थायी निषेधाज्ञा से
पाबंद कराने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध करनें का भार वादी पर था। चूंकि कस्बा फतेहपुर ख0न0 636
की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2011–13 के कॉलम संख्या 5 "नाम कृषक विवरण सहित और
कृषिकाल" में तोला पुत्र गुलाब जाति खाती सा. देह कृषक के रूप में दर्ज है। उक्त खसरा
नम्बर में प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण प्रविष्ठियों के कारण दर्ज
चला आ रहा है एवं प्रतिवादी संख्या 7 उपपंजियक फतेहपुर है। जिनको वादी स्थायी निषेधाज्ञा
से पाबंद कराने का अधिकारी है। अतः उक्त तनकी बहक वादी तय की जाती है।

तनकी नं0 3– आया दावा वादी वाद कारण के अभाव में खारिज योग्य है।

उक्त तनकी को सिद्ध करनें का भार प्रतिवादी संख्या 9 पर था। विवादित भूमि कस्बा
फतेहपुर ख0न0 636 के संबंध में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य राजीनामा प्रदर्श–8 में
उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के गलत रूप से राजस्व प्रलेख में [illegible] अंकित किया
गया है। वादी उक्त विवादित भूमि को उदघोषित कराने का अधिकारी [illegible] उक्त तनकी
विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 9 तय की जाती है।

तनकी नं0 4– आया वादी को वाद पेश करने का लोकस स्टेण्डाइ हासिल नहीं है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 9 पर था। विवादित भूमि फतेहपुर
ख0न0 636 की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2011–13 के कॉलम संख्या 5 "नाम कृषक विवरण
सहित और कृषिकाल" में तोला पुत्र गुलाब जाति खाती सा. देह कृषक के रूप में दर्ज है। वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanw
Date: 2025.02.13 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

को वाद पेश करने का लोकस स्टेण्डाई हासिल है। लिहाजा उक्त तनकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 9 तय की जाती है।

तनकी नं0 5– आया वादी का वाद पक्षकार में कुयोजन व संयोजन के अभाव में खारिज योग्य है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 9 पर था। वादी द्वारा उक्त वाद में विवादित भूमि से संबंधित सभी पक्षकारों का संयोजन किया गया है। लिहाजा उक्त तनकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 9 तय की जाती है।

तनकी नं0 6– आया वाद वादी अपर्याप्त न्याय शुल्क के आधार पर पेश किया है, जो खारिज योग्य है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 9 पर था। वादी द्वारा उक्त वाद पर्याप्त न्याय शुल्क के आधार पर पेश किया है। लिहाजा उक्त तनकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 9 तय की जाती है।

तनकी नं0 7– आया वाद वादी आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 9 पर था। प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जा चुका है। लिहाजा उक्त तनकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 9 तय की जाती है।

तनकी नं0 8– आया प्रतिवादी संख्या 9 भूमि खसरा नम्बर 636 का 1/2 हिस्से का खाता अपने नाम उदघोषित कराने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 9 पर था। प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किय गये है। उक्त भूमि का वर्तमान खाता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम अंकित है जिन्होनें राजीनामे में उक्त भूमि गलत रूप से उनके नाम होना अंकित किया है तथा उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के नाम सही होना अंकित किया है। लिहाजा उक्त तनकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 9 तय की जाती है।

तनकी नं0 9– आया प्रतिवादी सं. 9 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को 1/2 हिस्से में दखलंदाजी नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 9 पर था। प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किय गये है। उक्त भूमि का वर्तमान खाता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम अंकित है जिन्होनें राजीनामे में उक्त भूमि गलत रूप से उनके नाम होना अंकित किया है तथा उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के नाम सही होना अंकित किया है। प्रतिवादी स. 9 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को 1/2 हिस्से में दखलंदाजी नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा उक्त तनकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 9 तय की जाती है।

अनुतोष – वादी को तनकी नं0 1, 2 तथा [illegible] सिद्ध करनी थी। वादी तनकी नं0 1 व 2 सिद्ध [illegible] तनकी न0 3 से 9 साबित करने में असफल रहे है। वादी तनकी सिद्ध [illegible] सफल रहे है। इस प्रकार वादी अपना वाद सिद्ध कर पाये है। उपरोक्त विवेचन अनुसार [illegible] में उक्त तथ्य प्रमाणित है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 636 रकबा 2.07है0 कस्बा फतेहपुर तहसील फतेहपुर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पूर्वज तोला पुत्र गुलाब जाति खाती सा. देह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने पर कृषक के रूप में स्वीकार है एवं अभिलिखित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanw
Date: 2025.02.13 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर(राज.)

वाद संख्या 83/2010 बउनवानी वेदप्रकाश बनाम ब्रहमदत्त आदि दिनांक 10.02.2012 की आदेशिका विवरण के अनुसार इस वाद विजयदत्त बनाम सोहन आदि मु0 सं0 58/2010 के समेकित किया गया। वाद संख्या 83/2010 बउनवानी वेदप्रकाश बनाम ब्रहमदत्त आदि की सुनवाई भी विजयदत्त बनाम सोहन आदि मु0 सं0 58/2010 के साथ ही की जानी थी। चूंकि वाद संख्या 58/2010 बउनवानी विजयदत्त बनाम सोहन आदि में तनकीयात वादी के पक्ष में निस्तारण हुई है तथा साक्ष्य सबूत भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पक्ष में पेश हुए है। वाद वादी बउनवानी वेदप्रकाश बनाम ब्रहमदत्त आदि स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद वादी बउनवानी वेदप्रकाश बनाम ब्रहमदत्त आदि अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

विवादित आराजी पैतृक सिद्ध हो जाने से वादी द्वारा पेश किया गया वाद स्वीकार करने योग्य है एवं प्रतिवादी संख्या 9 व 10 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर वाद खारिज किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 636 रकबा 2.07है0 ग्राम कस्बा फतेहपुर के काबिज काश्त अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को ब0 हि0 ब0 बराबर रकबे हिस्से के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादी संख्या 9 व 10 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर वाद खारिज किया जाता है।
तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी............मुकाम......फतेहपुर (सीकर)

इजलास..........दमयन्ती कंवर (आर.ए.एस.)..

विजयदत्त आयु 42 वर्ष पुत्र घनश्याम जाति जागिड निवासी वार्ड न. 31 भातरा की बगीची फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राज. वादी

बनाम

1. सोहन (फोत)
    1. गोविन्द पुत्र सोहन
    2. रामलाल (फोत) पुत्र सोहन
        1. कमला पत्नी रामलाल
        2. ताराचन्द पुत्र रामलाल 3 कंचन पुत्री रामलाल
    3. राजकुमार पुत्र सोहन
    4. सुमन
    5. मंजु पुत्रीया सोहन
2. शुभकरण (फोत)
    1 अणचीदेवी पत्नी शुभकरण
    2 गिरधारीलाल
    3 विष्णु पुत्रगण शुभकरण
    4 कौशल्या पुत्री शुभकरण समस्त जाति जागिड निवासी वार्ड नं. 16 मिश्रो का मोहल्ला फतेहपुर जिला सीकर राज.
3. बद्रीदत्त बरवाडीया
4. रविदत्त बरवाडीया (फोत)
    1 सरिता बरवाडिया पत्नी रविदत्त
    2 कीर्ति बरवाडिया पुत्री रविदत्त
    3 विनोद बरवाडिया पुत्र रविदत्त
5. देवदत्त बरवाडिया
6. तहसीलदार भू धारक राजस्थान सरकार फतेहपुर
7. उपपंजीयक फतेहपुर
8. जिलाधीश सीकर
9. वेदप्रकाश (फोत)
    1 रूकमणी देवी पत्नी वेदप्रकाश
    2 विष्णुदत्त
    3 रमेशचन्द्र
    4 ओमदत्त
    5 दिनेश कुमार पुत्रगण वेदप्रकाश
    6 ललिता
    7 सरोज
    8 मंजू पुत्रीया वेद प्रकाश
10. प्रभुदत्त उर्फ प्रभुदयाल
11. गोपीदत्त उर्फ जयगोपाल पुत्रगण मुनीन्द समस्त जाति जागिड निवासी वार्ड नं. 31 भातरा की बगीची फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राज.
12. विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान जयपुर

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwa
Date: 2025.02.13 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत उदघोषणा संशोधन खाता स्थायी निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

मुकदमा नं... 58 .... सन्... 2010 ....

आज मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू ...... मेरे ....

व हाजिरी श्री विश्वनाथ सैनी एडवोकेट .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... श्री मोहन तिवाडी विक्रम सिंह, पंकज शर्मा, अ. रशीद खान, हेमराज सैनी एडवोकेट .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 636 रकबा 2.07हे0 ग्राम कस्बा फतेहपुर के काबिज काश्त अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को ब0 हि0 ब0 बराबर रकबे हिस्से के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादी संख्या 9 व 10 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर वाद खारिज किया जाता है।

रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा। खर्चा फरीकैन अपना – अपना वहन करेंगे।

मिज ..... – .... मुवलिग .... – .... बाबत .... – ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह .... – .... फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

इसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ... 29 ... माह ... जनवरी ...... सन् 2025 को जारी की गई।

दस्तखत ....

मुहर ओहदा ....

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर(राज.)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	4		स्टाम्प अर्जी दावा	4	
स्टाम्प वकालत नामा	2		स्टाम्प वकालत नामा	5	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महन्ताना वकील	–		महन्ताना वकील	–	
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान	–	
फीस कमिश्नर	–		फीस कमिश्नर	–	
बाबत इजराय हुक्मनामा	–		बाबत इजराय हुक्मनामा	–	
मुतफरिक	–		मुतफरिक	–	
मीजान	6			9	

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का बाबे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर(राज.)